संख्या– 1154 / 43–2–08–15 / 2(3) / 07 टी.सी.–II

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,

उ.प्र. शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2008**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में– शासन स्तरपर विभिन्न विभागों द्वारा।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मरे पत्र सखं या–556 / 43–2–2008–15 / 2(3) / 2007 टी.सीदिनाकं 6 जनू, 2008 तथा प्रमुख सचिव / सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सखं या–859 / 43–2–08–15 / 2(3) / 2007 टी.सी.–II दिनाकं 01 जुलाई, 2008 तथा 898 / 43–2–08–15 / 2(3) / 07, दिनाकं 15 जुलाई, 2008 का सदं र्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त पत्रों में सचूना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के अन्तगर्त सचूनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मनैअुल के रूप में प्रकाशन व वेबसाइट पर अपलोड कर प्रत्येक विभाग व उनके अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक स्थिति की सकंलित सचूना की अपक्षा की गयी थी, किन्तु अभी तक उक्त सचूना पर्णू रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। सचूना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तगर्त सचूनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियाँ उल्लिखित है–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

(vi) ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।

(vii) किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है,

(viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा, दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।

(ix) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

(xii) सहायिक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ।

(xiv) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।

(xvi) जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ।

3. पूर्व में जिन विभागों की उक्त सूचनाएं एन.आई.सी. द्वारा ''भारत सरकार की सूचना का अधिकार से सम्बन्धित वेबसाइट (RTI-Portal :-http://rti.gov.in)'' पर अपलोड की गयी थी वह अब इस वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार द्वारा अब RTI-Portal को सीधे राज्य सरकार की वेबसाइट (http://upgov.nic.in) से लिंक कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर वही सूचनाएं

उपलब्ध हैं, जो विभाग द्वारा अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी हैं। इसी विभागीय वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न–16 श्रेणियों की विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर अपलोड किया जाना है तथा उक्त सूचनाओं को अद्यावधिक किया जाना है।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता हैं।

5. प्रत्येक ''लोक प्राधिकरण (Public Authority)'' से यह भी अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। प्रचार–प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि यह लोगों तक आसानी से पहुंच जाये। ऐसा सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार–प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक अधिनियम की धारा –4(1)(b) के अन्तर्गत अपने विभाग की सूचनाओं का प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि सूचना पूर्णरूपेण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)

मुख्य सचिव।

संख्या– 1155/43–2–08–15/2(3)/07 टी.सी.–II

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उ.प्र. शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2008**

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(बी) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का प्रकाशन व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में– विभागाध्यक्ष/निगम/प्राधिकरण आदि स्तर पर।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मेरे पत्र संख्या–556/43–2–2008–15/2(3)/2007 टी.सी. दिनांक 6 जून, 2008 तथा प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या–859/43–2–08–15/2(3)/07, टी.सी.–II दिनांक 01 जुलाई, 2008 तथा 898/43–2–08–15/2(3)/07, दिनांक 15 जुलाई, 2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा– 4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर वेबसाइट पर अपलोड किये जाने से सम्बन्धित है।

2. विभागों के अधीन समस्त लोग प्राधिकरणों यथा–निदेशालय/सार्वजनिक निगम/परिषद/प्राधिकरण/संस्थान/स्वायत्तशासी संस्था/शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र की समस्त स्थानीय निकाय/राज्य सरकार से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संस्थाएं आदि द्वारा भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न निम्नलिखित 16 श्रेणियों को मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है :–

(i) अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

(ii) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

के अधीन समस्त लोक प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4 (1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं की विभिन्न 16 श्रेणियों को विशेष रूप से मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर अपलोड किया जाना है तथा उक्त सूचनाओं को अद्यावधिक भी किया जाता है।

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना विधिक बाध्यता हैं।

5. प्रत्येक ''लोक प्राधिकरण (Public Authorityh)'' से यह भी अपेक्षित है कि वे सूचनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करें। प्रचार–प्रसार इस प्रकार से होना चाहिए कि यह लोगों तक आसानी से पहुंच जाये। ऐसा सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट अथवा किसी अन्य माध्यम से किया जा सकता है। लोक प्राधिकरण को सूचना का प्रचार–प्रसार करते समय लागत प्रभावकारिता स्थानीय भाषा और सम्प्रेषण के प्रभावी तरीकों का ध्यान रखना चाहिए।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1) (b) के अन्तर्गत सूचनाओं का प्रकाशन कर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रशासनिक सुधार विभाग को 30 नवम्बर, 2008 तक उपलब्ध करायें। प्रत्येक स्तर पर स्थित लोक प्राधिकरणों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु एक Flow Chart पत्र के साथ संलग्न हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

<u>संख्या–1155 (1)/43–2–08–15/2(3)/07 टी.सी.–II तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(शम्भू सिंह यादव)
विशेष सचिव।

विभागों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम धारा 4(1)(b) के अन्तर्गत उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनायें को अपने वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने की निर्धारित प्रक्रिया

विभागीय वेबसाइट बनवाना

विभागीय वेबसाइट के होम पेज में उसके अधीन समस्त इकाइयों (लोक प्राधिकरणों) का उल्लेख किया जाना।

(शासन स्तर पर स्थित विभाग का यह दायित्व होगा कि वे अपने विभाग व अपने विभाग के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूचना जो वेबसाइट पर किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो सकी है, उसे वेबसाइट पर अपलोड करवायें और यदि उनके नियंत्रणाधीन किसी भी इकाई का अलग वेबसाइट बना हुआ है तो विभागीय वेबसाइट से उसे लिंक करवायें)

उक्त विभाग की सबसे निम्नतम इकाई
↓
ब्लाक स्तर की इकाई (यदि कोई हो)
↓
तहसील स्तर की इकाई (यदि कोई हो)
↓
जिला स्तर की इकाई (यदि कोई हो)
↓
मण्डल स्तर की इकाई (यदि कोई हो)
↓
जोनल स्तर की इकाई (यदि कोई हो)
↓
मुख्यालय
↓
शासन
↓
अपलोड प्रमाण पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायें।

(प्रत्येक इकाई के जन सूचना अधिकारी/वेब मास्टर का यह दायित्व होगा कि अपनी इकाई से संबंधित 4(1)(b) की अद्यावधिक सूचना विभागीय वेबसाइट में संबंधित इकाई के पेज पर अपलोड करायें और यदि किसी कारणवश सूचना अपलोड नहीं हो पा रही है, तो समस्त सूचना कम्प्यूटर पर टाइप कराकर उसको सी.डी. में कापी कर उच्च स्तर को प्रेषित करें। उससे उच्च स्तर की इकाई उसी सी.डी. में अपनी सूचना संकलित कर अपने से उच्च स्तर को प्रेषित करेगी। किसी भी स्तर तक अपलोड की सूचना अपने से उच्चतम इकाई को दें)

संख्या–228 / 43–2–2009–15 / 2(3)07

प्रेषक,

के.के. सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2009**

विषय :– राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्ड की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–20 में जनसूचना अधिकारियों को दण्डित करने का अधिकार मिला है। राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिरोपित दण्ड स्वरूप जो धनराशि प्राप्त होती है उसे किस मद में जमा किया जाय इस बिन्दु पर राज्य सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित दण्ड की धनराशि को सरकारी कोष में जमा करने के बिन्दु पर यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त धनराशि को लेखा शीर्षक ''0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, –60–अन्य सेवायें, –800–अन्य प्राप्तियॉ,–11–सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्तियॉ'' में जमा की जाय।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–546 / 43–2–2009

प्रेषक,

के.के. सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 25 / 5 / 2009**

विषय :– समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों और उसकी समस्त इकाईयों में जन सूचना अधिकारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों का अलग से चार्ज सौंपने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाणीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में जन सूचना अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाइयों में नामित जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाये कि वे अपने स्थानान्तरण के समय अपने उत्तराधिकारी को कार्य भार सौंपते

समय सूचना का अधिकार अधिनियम का पूरा विवरण समझा दें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किये जा रहे कार्यो का अलग से चार्ज सौंपे।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–547/43–2–2009

प्रेषक,

के.के. सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 25/5/2009**

विषय :– समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों और उसकी समस्त इकाईयों में जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुॅच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि कृपया अपने नियंत्रणधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाइयों में एक नोटिस बोर्ड पर जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम उनका पदनाम, बैठने का स्थान, मिलने का समय और दूरभाष नम्बर आदि अंकित किया जाय, साथ में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता भी अंकित किया जाय और उसे कार्यालय के ऐसे स्थान पर लगाया जाय

जहां तक पहुँच के लिए किसी प्रवेश पत्र की आवश्यकता न हो, जिससे नागरिकों को उन तक पहुँच में सुविधा हो सके।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1077/43–2–2009

प्रेषक,

के.के. सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 17/06/2009**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों द्वारा अपीलों का निस्तारण।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकारियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रभावी है। अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी के जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करें। जन सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध न कराने अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से आवेदनकर्ता के सन्तुष्ट न होने की दशा में अधिनियम में दो अपीलों का प्राविधान किया गया है। प्रथम अपील लोक प्राधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निस्तारण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए करे।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु शासनादेश संख्या–भा.स.–19/43–2–2008–15/2(7)/08, दिनांक 14 जुलाई, 2008 द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है। उक्त मार्गदर्शिका उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट www.upgov.nic.in पर भी अपलोड की गयी है। शासन के संज्ञान में यह बात लायी गयी है कि प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित

नियमों / विधि से अपीलों का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

3. अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अधिनियम के प्राविधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए अपने समक्ष दायर प्रथम अपीलों का निर्धारित समय–सीमा के अन्दर निस्तारण सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

(के.के. सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

संख्या–मास.–18 / 43–2–2009

लखनऊ : दिनांक 30–09–2009

कार्यालय–ज्ञाप

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1 / 20 / 2009–आई.आर. दिनांक 23 जून, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23 जून, 2009 द्वारा भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत प्रकरण से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़ कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव

संख्या भा.स.18 / 43–2–2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, विधान परिषद / विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मन्त्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।

संख्या–18 / 43–2009

सं.1 / 20 / 2009–आई.आर.
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
....

सं.................... / मु.स. / सूचना का अधिकार / 2009 नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

दिनांक 23 जून, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 'फाइल नोटिंग' का प्रकटन।

अधोहस्ताक्षरी को कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालय / विभाग आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल नोटिंग के प्रकटन के बारे में स्पष्टीकरण मांगते रहे हैं। एतदद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है ऐसी फाइल नोटिंग जिसमें अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त सूचना निहित है, को छोड़कर फाइल नोटिंग का प्रकटन किया जा सकता है।

प्राथमिकता
सूचना अधिकार से सम्बन्धित ।
इसे सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाय।

भवदीय
(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग
2. संघ लोक सेवा आयोग / लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय / मंत्रिमण्डल सचिवालय / केन्द्रीय सतर्कता आयोग / राष्ट्रपति सचिवालय / उप राष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री का कार्यालय / योजना आयोग / चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग / राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6. सभी अधिकारियों / डैस्क / अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।

प्रतिलिपि :– सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

संख्या–2186 / 43–2–2009

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 16 / 11 / 2009**

विषय :– लोक प्राधिकरण (Public Authority) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत सूचनाओं के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत वर्ष में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 4(1)(ए) के अनुसाार प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने सभी रिकार्ड सम्यक रूप से अनुक्रमणिकाबद्ध (Catalogued) और सूचीपत्रित (Indexed) ढंग से रखने चाहिए ताकि आवेदक तक सूचना की पहुँच को सुलभ बनाया जा सके। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम में उल्लिखित 16 श्रेणियों की सूचनाओं का विवरण मैनुअल के रूप में प्रकाशित कर अपने–अपने कार्यालय में रखा जाना है ताकि जनता को अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। लोक प्राधिकरण प्रकाशन के लिए अधिनियम में उल्लिखित 16 प्रकार की सूचना श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी भी निर्धारित कर सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सूचना का प्रकाशन वैकल्पिक नहीं है। यह एक विधिक बाध्यता है जिसे पूरा करना प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए आवश्यक है। सूचनाओं का एक बार प्रकाशन कर देना पर्याप्त नहीं है। लोक प्राधिकरणों को अपनी सूचनाओं को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करते रहना चाहिए।

अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग एवं आपके विभाग के अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(बी) में उल्लिखित सूचनाओं को प्रकाशित कर उसकी प्रतियॉ जनता के अवलोकनार्थ कार्यालय में रखने का कष्ट करें तथा इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या–186 / 43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 05 / 02 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2 (एच) के अन्तर्गत लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2 (एच) में निम्न प्राविधान है–

2 (एच) ''लोक प्राधिकारी'' से

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन,

(ख) संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत हैः

और इसके अन्तर्गत :–

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दी गई लोक प्राधिकारी की उक्त परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में नागरिकों द्वारा सूचना मॉगने पर विभिन्न संगठन यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वे राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्तपोषित नहीं हैं। अतः वे उक्त परिभाषा के अन्तर्गत अधिनियम की

परिधि में नहीं आते है। इस भ्रान्ति के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग और निकाय अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करें, जिससे इसकी जानकारी आम नागरिकों को हो सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2(एच) के अन्तर्गत अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या–273 / 43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 09 / 03 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ऐसे कई आवेदन पत्र प्राप्त होते है। जिनमें कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (A.C.R.) की प्रतियॉ प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन से सम्बन्धित मामले में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–10 / 20 / 2006 आई.आर., दिनांक 21 सितम्बर, 2007 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये है :–

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ज्ञ) में यह व्यवस्था है कि किसी भी नागरिक को ऐसी जानकारी प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से सम्बन्धित हो और उसके प्रकटन का किसी सार्वजनिक कार्य कलाप अथवा हित से कोई सम्बन्ध नहीं हो, अथवा जो व्यक्ति की गोपनीयता को अवांछित रूप से भंग करें, बशर्ते जन सूचना अधिकारी अथवा अपील प्राधिकारी जो भी स्थिति हो, इस बात से संतुष्ट हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटन को न्यायोचित ठहराता है। किसी भी ए.सी.आर. में रिपोर्ट किए गए अधिकारी के चरित्र, क्षमता और अन्य गुणों से सम्बन्धित जानकारी होती है जिसके किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटन से व्यक्ति की गोपनीयता पर अवांछित हमला होता है। अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (2) के द्वारा लोक प्राधिकारी को यह विशेषाधिकार दिया गया है कि वह किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटन सम्बद्ध अधिकारी को अथवा किसी अन्य आवेदक को करे अथवा न करें।

लोक प्राधिकारी किसी कर्मचारी की वार्षिक रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ज्ञ) द्वारा संरक्षित है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक

गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिए। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी का चयन सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या—274 / 43—2—2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 **लखनऊ : दिनांक 09 / 03 / 2010**

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत ''सूचना'' की परिभाषा के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पूरे भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है। अधिनियम की धारा 2 (f) में सूचना की परिभाषा का उल्लेख है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1 / 7 / 2009—आई.आर., दिनांक 01 जून, 2009 द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया है :—

''सूचना की परिभाषा अपने दायरे में 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नहीं कर सकती है। ऐसे प्रश्न किसी मामले विशेष के औचित्य के बारे में पूछने जैसा ही होगा। लोक सूचना प्राधिकारी से कोई नागरिक सूचना मॉग सकता है, किन्तु इस बात का कारण संसूचित किए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकता कि किसी निश्चित कार्य का क्या औचित्य था या वह क्यों किया गया या क्यों नहीं किया गया। औचित्य पर निर्णय, फैसला सुनाने वाले प्राधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला विषय है और इसे यथोचित रूप से सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।''

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया

(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या–सू.अ.मु.स.27 / तैंतालिस–2–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 12 / 04 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अन्तर्गत मार्गदर्शिका।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वर्ष 2008 में चार मार्गदर्शिकाएं यथा– लोक प्राधिकरणों, जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों व जन सामान्य हेतु जारी की गयी हैं। अधिनियम की धारा 26 में सरकार से इस प्रकार के दिशा निर्देश तैयार करने और उन्हें नियमित अन्तराल पर अद्यतन करते रहने की अपेक्षा की गई है। भारत सरकार द्वारा अधिनियम पर एक समेकित अद्यतन मार्गदर्शिका तैयार की गई है जो सभी के लिए उपयोगी है। यह मार्गदर्शिका सूचना मांगने वालों को सूचना प्राप्त करने में, जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार सम्बन्धी आवेदनों पर कार्यवाही करने में, प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निर्णय लेने में और लोक प्राधिकरणों को अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को ठीक तरह से कार्यान्वित करने में सहायता करेगी। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले समस्त लोक प्राधिकरणों को मार्गदर्शिका की एक–एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अन्तर्गत मार्गदर्शिका

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

1. किसी नागरिक को किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मॉगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकरण के पास या उसके नियंत्रण में उपलब्ध है। इस अधिकार में लोक प्राधिकरण के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्डों का निरीक्षण; दस्तावेजों या रिकार्डों के नोट, उदाहरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना; सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना शामिल है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना देय है, जो विद्यमान है और जो लोक प्राधिकरण के पास अथवा उसके अधीन उपलब्ध हैं। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना; या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।
2. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें वह मांगता है। तथापि, यदि किसी विशेष स्वरूप में मॉगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक प्राधिकरण के संसाधनों का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकार्डों के परिरक्षण में कोई हानि की सम्भावना होती है, तो उस रूप में सूचना देने से मना किया जा सकता है।
3. देखा गया है कि कुछ लोग, जन सूचना अधिकारी से, किसी विशिष्ट प्रपत्र में इस तर्क के आधार पर सूचना प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं कि उन्हें उसी रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है जिसमें वे चाहें। यह नोट करने की आवश्यकता है कि अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधान का अभिप्राय यह है कि यदि सूचना फोटो प्रति के रूप में मांगी जाए, तो यह फोटोप्रति के रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और यदि यह फ्लॉपी के रूप में मांगी जाए, तो इसे फ्लॉपी के रूप में दिया जाना चाहिए, किन्तु अधिनियम जन सूचना अधिकारी से सूचना का स्वरूप बदलने की अपेक्षा नहीं करता। अधिनियम में दी गई सूचना का अधिकार की परिभाषा इस बात को प्रमाणित करती है, जिसके अनुसार आवेदक को डिस्केट्स, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा प्रिंट आउट के रूप में सूचना प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, बशर्ते कि सूचना कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य उपकरण में पहले से ही स्टोर हो। अधिनियम में, शब्द रूप का प्रयोग इस अर्थ का प्रतिनिधित्व करने के लिए ही किया गया है।
4. कुछ व्यक्ति जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह दस्तावेजों में खोज कर उन्हें सूचना दें। किसी भी नागरिक को जन सूचना अधिकारी से ऐसी सामग्री लेने का अधिकार है जो सम्बद्ध लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। अधिनियम में जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वह प्राप्त सामग्री से कुछ निष्कर्ष निकाले और इस तरह

निकाले गए निष्कर्ष आवेदक को दे। अभिप्राय यह है कि जन सूचना अधिकारी को सामग्री उसी रूप में देनी चाहिए, जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह प्राप्त सामग्री के आधार पर शोध करके शोध के परिणाम नागरिक को बताएगा।

अन्य अधिनियमों की तुलना में सूचना का अधिकार

5. सूचना का अधिकार अधिनियम का, अन्य कानूनों की तुलना में अधिभावी प्रभाव (over riding effect) है। शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 और इस समय लागू किसी अन्य कानून में यदि ऐसे प्रावधान हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों से असंगत है तो ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

6. अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 9 में सूचना की ऐसी श्रेणियों का विवरण दिया गया है, जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। तथापि, धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार यदि प्रकटीकरण से, संरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्त लोक हित सधता हो, तो उप धारा (1) के अन्तर्गत छूट प्राप्त अथवा शासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट प्राप्त सूचना का प्रकटीकरण किया जा सकता है।
7. अधिनियम लोक प्राधिकरणों से असीमित अवधि तक रिकार्ड अवधारित करने की अपेक्षा नहीं करता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लोक प्राधिकरणों को लागू रिकार्ड अवधारण अनुसूची के अनुसार ही अपने रिकार्ड को अवधारित करना चाहिए। किसी फाइल में सृजित सूचना फाइल/रिकार्ड के नष्ट हो जाने के बाद भी कार्यालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा अन्य किसी रूप में मौजूद रह सकती है। अधिनियम की धारा 8(3) के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि इस प्रकार उपलब्ध सूचना को धारा 8 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त होने के बावजूद, 20 वर्ष बाद आवेदक को दे देना चाहिए।

लोक प्राधिकरणों के लिए

अभिलेखों का रख–रखाव और कम्प्यूटरीकरण

1. अधिनियम के प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन के लिए अभिलेखों का समुचित प्रबंधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः लोक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेखों का समुचित रख–रखाव करना चाहिए। उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी अभिलेख विधिवत् तालिकाबद्ध और सूचीबद्ध हो, ताकि सूचना के अधिकार को सरल बनाया जा सके।

स्वतः प्रकटन

2. प्रत्येक लोक प्राधिकरण से अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक–से अधिक सूचना मुहैया कराएं, ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम का कम–से–कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। अतः लोक प्राधिकरणों को अधिक–से–अधिक सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर देनी चाहिए।

3. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुसार सभी लोक प्राधिकरणों से यह अपेक्षित है कि वे सूचना की 16 श्रेणियों को विशेष रूप से प्रकाशित करें।

नीतियों और निर्णयों के बारे में तथ्यों का प्रकाशन

4. लोक प्राधिकरण समय–समय पर नीति निर्धारण और निर्णय लेने का कार्य करते रहते हैं। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करते समय अथवा लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय लोक प्राधिकरण को चाहिए कि वह ऐसी नीतियों और निर्णयों के बारे में आम लोगों के लिए सभी सम्बद्ध तथ्यों का प्रकाशन करें।

निर्णयों के कारण उपलब्ध कराना

5. लोक प्राधिकरणों को समय–समय पर लोगों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक और न्यायिक–कल्प निर्णय लेने होते हैं। सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के लिए यह बाध्यकारी है कि वह लोगों को ऐसे निर्णयों के कारण बताए। इसके लिए सम्प्रेषण के समुचित माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए।

शुल्क की प्राप्ति

6. उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियम) नियमावली, 2006 के अनुसार सूचना के लिए प्रार्थना करने वाला कोई भी व्यक्ति देय शुल्क का भुगतान लोक प्राधिकरण को नकद में या डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा कर सकता है। लोक प्राधिकरण के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि शुल्क के भुगतान के उक्त तरीकों में से किसी को भी मना नहीं किया जाए।

राज्य सूचना आयोग के आदेशों का अनुपालन

7. किसी अपील पर निर्णय लेते हुए, राज्य सूचना आयोग, सम्बन्धित लोक प्राधिकरण से कुछ ऐसे कदम, जो अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, उठाने की अपेक्षा कर सकता है। आयोग किसी विशेष फार्म में किसी आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने; जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने; विशेष सूचना अथवा सूचना की श्रेणी का प्रकाशन करने; अभिलेखों के रख–रखाव, प्रबन्धन और इसे नष्ट करने से सम्बन्धित अभिक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करने; पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के प्रावधान को विस्तार देने; अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुपालन में तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश

पारित कर सकता है।

8. राज्य सूचना आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संबद्ध लोक प्राधिकरण को, शिकायतकर्ता द्वारा भोगी गई किसी हानि अथवा अन्य नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करे। राज्य सूचना आयोग को जन सूचना अधिकारी पर अधिनियम में दी गई शास्ति लगाने की भी शक्ति प्राप्त है। स्मरणीय है कि शास्ति जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित की जाती है, जिसका भुगतान उसे ही करना होता है। तथापि, आयोग के आदेश पर किसी आवेदक को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का भुगतान लोक प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा।
9. राज्य सूचना आयोग के निर्णय बाध्यकारी हैं। लोक प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश कार्यान्वित हों। यदि लोक प्राधिकरण अथवा जन सूचना अधिकारी के मतानुसार राज्य सूचना आयोग का कोई आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न हो तो वह आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकता है।

आवेदनों का अंतरण

10. अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण से किसी ऐसी सूचना के लिए आवेदन किया जाता है, जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है; अथवा जिसकी विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक सम्बद्ध है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को आवेदन अथवा उसके संगत भाग को आवेदन की प्राप्ति के पॉच दिन के भीतर सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देना चाहिए। लोक प्राधिकरणों को चाहिए कि वे अपने प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के इस प्रावधान के बारे में संवेदनशील बनाए, ताकि ऐसा न हो कि देरी के लिए आवेदन प्राप्त करने वाले लोक प्राधिकरण को ही जिम्मेवार ठहरा दिया जाए।

सूचना मांगने वालों के लिए

सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को आवेदन

1. आवेदनकर्ता को आवेदन सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को भेजना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवेदन उसी लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को भेजा जाए जिससे कि वांछित सूचना सम्बन्धित है।
2. यह देखा गया है कि कुछ आवेदनकर्ता एक ही आवेदन से कई विषयों के सम्बन्ध में सूचना मांगते हैं। यह आवेदनकर्ता के साथ–साथ जन सूचना अधिकारी के लिए भी समस्या पैदा करता है। आवेदकर्ताओं को चाहिए कि वे एक आवेदन पत्र के माध्यम से एक ही विषय के सम्बन्ध में सूचना मांगे।

आवेदन हेतु प्रपत्र

3. सूचना मॉगने हेतु आवेदन के लिए कोई निर्धारित प्रपत्र नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। तथापि, आवेदन में आवेदनकर्ता का पूर्ण नाम तथा पता होना चाहिए। यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिकी रूप में मांगी जाए, तब भी आवेदन में आवेदनकर्ता का नाम तथा पता दिया हुआ होना चाहिए।
4. आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अपील दायर करना

5. यदि आवेदक को तीस दिन या 48 घंटे की निर्धारित सीमा, जैसी भी स्थिति हो, के भीतर सूचना प्रदान नहीं की जाती है या वह दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। ऐसी अपील, उस तारीख से 30 दिन के अंदर दायर की जानी चाहिए, जिस तारीख को सूचना देने की 30 दिन की सीमा समाप्त हो रही है, या उस तारीख से जिस तारीख को जन सूचना अधिकारी से सूचना या निर्णय प्राप्त होता है। अपीलीय प्राधिकारी अपील का निपटान, अपील प्राप्त होने से 30 दिनों अथवा असाधारण मामलों में 45 दिनों की अवधि के अन्दर करेगा।
6. यदि अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के अन्दर अपील का निपटान नहीं कर पाता है या अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को अपीलकर्ता को निर्णय वास्तव में प्राप्त हुआ, से 90 दिनों के अन्दर सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है।
7. राज्य सूचना आयोग को की गई अपील में निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए :–
   (i) अपीलकर्ता का नाम और पता;
   (ii) उस जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसके निर्णय के खिलाफ अपील की गई है;
   (iii) उस आदेश की संख्या एवं विवरण, यदि कोई हो, जिसके खिलाफ अपील की गई है;
   (iv) अपील के कारणों की संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी;
   (v) यदि अपील समझी गयी नामंजूरी के विरुद्ध की गई है तो संख्या एवं तारीख सहित आवेदन का विवरण तथा उस जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पता जिसको आवेदन किया गया था;
   (vi) प्रार्थना या मांगी गई राहत;
   (vii) प्रार्थना या राहत के लिए आधार;
   (viii) अपीलकर्ता द्वारा सत्यापन; तथा
   (ix) कोई अन्य सूचना जिसे आयोग अपील पर निर्णय देने के लिए आवश्यक समझे।

8. राज्य सूचना आयोग को की गई अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए :–

(i) उन आदेशों या दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित प्रतियां जिनके खिलाफ यह अपील की गई है;

(ii) उन दस्तावेजों की प्रतियां जिन्हें अपीलकर्ता ने आधार बनाया है तथा अपील में उनका संदर्भ दिया है;

(iii) अपील में संदर्भित दस्तावेजों की सूची।

शिकायत दायर करना

9. यदि कोई व्यक्ति किसी जन सूचना अधिकारी को इस कारण अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है कि सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है; या सहायक जन सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या उसकी अपील को जन सूचना अधिकारी या अपीलीय अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अग्रसारित करने के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया है; या सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया है या अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अन्दर सूचना के लिए अनुरोध का उसे कोई उत्तर नहीं दिया गया या उससे इतनी धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा की गई हो जिसे वह अतर्कसंगत समझता है; या उसे विश्वास है कि उसे अधूरी, भ्रामक या गलत सूचना दी गई है तो वह राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है।

जन सूचना अधिकारियों के लिये

1. किसी लोक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी नागरिकों के सूचना के अधिकार को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिनियम ने उनके लिये विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित किये हैं तथा गलती करने पर उन्हें शास्ति के लिये उत्तरदायी बनाया है। इसलिये जन सूचना अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिनियम का सावधानी पूर्वक अध्ययन करे तथा इसके प्रावधानों को सही ढंग से समझे। जन सूचना अधिकारी को आवेदनों का निपटान करते समय इस दस्तावेज में, अन्यत्र उठाये गये मुद्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये।

बिना शुल्क के प्राप्त आवेदन

2. आवेदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद जन सूचना अधिकारी को देखना चाहिये कि क्या आवेदक ने आवेदन शुल्क जमा किया है या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे परिवार से सम्बन्धित व्यक्ति है। यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क या गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाणमत्र संलग्न नहीं किया गया है तो इसे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन नहीं माना जा सकता। तथापि, जन सूचना अधिकारी को ऐसे आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये तथा ऐसे आवेदन द्वारा

मॉगी गयी सूचना को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये।

आवेदन का स्थानान्तरण

3. कई बार लोक प्राधिकरणों के पास ऐसी सूचना के आवेदन प्राप्त होते हैं, जो उनसे सम्बन्धित नहीं होती। कभी–कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है, जिसका कुछ ही हिस्सा उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी हिस्सा उसके पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सूचना का कुछ हिस्सा या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से संबंधित होती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गई हैं कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होता है जो दूसरे लोक प्राधिकरण द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण के कार्यों से निकटतर रूप से सम्बन्धित है, तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन किया गया है, आवेदन को सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा। धारा 6 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के प्रावधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति अपना आवेदन सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को सम्बोधित करे। फिर भी, ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने की उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी जिसको उसने आवेदन किया है, जबकि वास्तव में वह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है। ऐसे मामलों में आवेदक से गलत लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को आवेदन करने की समझ में आने वाली गलती होती है। किन्तु, जहॉ आवेदक ऐसे लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना के लिये आवेदन दें, जो किसी भी सामान्य समझ वाले व्यक्ति को मालूम हो कि वह सूचना उस लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित नहीं है तो आवेदक सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को आवेदन भेजने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता। ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियां और उन स्थितियों में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

   (i) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी दूसरी लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है। ऐसे मामलों में, जन सूचना अधिकारी को आवेदन सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को अन्तरित कर देना चाहिए और इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिए। यदि प्राप्तकर्ता लोक प्राधिकरण का जन सूचना अधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी सम्बन्धित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए, तो उसे आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि मांगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी। यदि जन

सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील की जाती है, तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने सम्बन्धित लोक प्राधिकरण के विवरण का पता लगाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए थे।

(ii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध सूचना दे देनी चाहिए तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए सम्बन्धित दूसरे लोक प्राधिकरण के पास भेज देनी चाहिए।

(iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को अपने से सम्बन्धित सूचना दे देनी चाहिए तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिए कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करें। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना के अलग–अलग हिस्से एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है तो जन सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिए कि लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है। साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिए कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दे। स्मरणीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत वहीं सूचना देना अपेक्षित है, जो पहले से विद्यमान हों तथा लोक प्राधिकरण द्वारा धारित हो या लोक प्राधिकरण के नियत्रणाधीन धारित हो। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है। ऐसी सूचना, जिसके हिस्से अलग–अलग लोक प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में हो, को एकत्र कर आवेदक को प्रदान करना अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित नहीं है। ऐसे मामलों में सूचना का सम्बन्ध किसी लोक प्राधिकरण विशेष से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अन्तरित किए जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उप–धारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

(iv) यदि कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना के लिए आवेदन करता है, जो केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है, तो आवेदन प्राप्त करने वाले जन सूचना अधिकारी को आवेदक को सूचित कर देना चाहिए कि सूचना केन्द्र सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त की जाय। ऐसी स्थिति में आवेदन को केन्द्र सरकार/सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

4. संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि यदि आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण पत्र संलग्न है, तो जन सूचना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदन की विषयवस्तु अथवा उसका कोई खण्ड किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित तो नहीं है। यदि आवेदन की विषयवस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित हो, तो उक्त आवेदन को सम्बद्ध लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन आंशिक रूप से ही अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है, तो उसको लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित खण्ड को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन की एक प्रति उस लोक प्राधिकरण को भेज देनी चाहिए। आवेदन का हस्तातंरण करते समय अथवा उसकी प्रति भेजते समय सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए कि आवेदन शुल्क प्राप्त कर लिया गया है। आवेदक को उसके आवेदन के स्थान्तरण के बारे में उस लोक प्राधिकरण जिसको उनका आवेदन अथवा उसकी एक प्रति भेजी गई, के ब्यौरों के बारे में भी सूचित कर देना चाहिए।
5. आवेदन अथवा उसके भाग का हस्तांतरण जितना जल्दी सम्भव हो कर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि हस्तान्तरण करने में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पॉच दिन से अधिक का समय न लगे। यदि कोई जन सूचना अधिकारी किसी आवेदन की प्राप्ति के पॉच दिन के बाद उस आवेदन को हस्तांतरित करता है तो उस आवेदन के निपटान में होने वाले विलम्ब में से इतने समय के लिए वह जिम्मेदार होगा जो उसने स्थानान्तरण में 5 दिन से अधिक लगाया।
6. उस लोक प्राधिकरण का जन सूचना अधिकारी जिसे आवेदन हस्तांतरित किया गया है इस आधार पर आवेदन के हस्तांतरण को नामंजूर नहीं कर सकता कि उसे आवेदन 5 दिन के भीतर हस्तांतरित नहीं किया गया।
7. कोई लोक प्राधिकरण अपने लिए जितने आवश्यक समझे उतने जन सूचना अधिकारी पदनामित कर सकता है। यह सम्भव है कि ऐसे लोक प्राधिकरण जिसमें एक से अधिक जन सूचना अधिकारी हों, कोई आवेदन संबंधित जन सूचना अधिकारी के बजाय किसी अन्य जन सूचना अधिकारी को प्राप्त हो। ऐसे मामले में आवेदन प्राप्त करने वाले जन सूचना अधिकारी को इसे संबंधित जन सूचना अधिकारी को यथाशीघ्र, अधिमानतः उसी दिन हस्तांतरित कर देना चाहिये। हस्तांतरण के लिए पॉच दिन की अवधि केवल तभी लागू होती है जब आवेदन एक लोक प्राधिकरण से दूसरे लोक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है ना कि तब जब हस्तांतरण एक ही प्राधिकरण के एक जन सूचना अधिकारी से दूसरे जन सूचना अधिकारी को हो।

जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध सहायता

8. जन सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से ऐसी सहायता माँग सकता है, जिसे वह अपने कर्तव्य के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हो। अधिकारी, जिससे सहायता माँगी जाती है, जन सूचना अधिकारी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। ऐसे अधिकारी को जन

सूचना अधिकारी माना जाएगा और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जिस प्रकार कोई अन्य जन सूचना अधिकारी होता है। जन सूचना अधिकारी के लिए यह उचित होगा कि जब वह किसी अधिकारी से सहायता माँगे, तो उस अधिकारी को उपर्युक्त प्रावधान से अवगत करा दें।

9. उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर कुछ जन सूचना अधिकारी आवेदन पत्र को अन्य अधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुये उन्हें यह निदेश दे देते हैं कि वे मान्यता प्राप्त जन सूचना अधिकारी के रूप में आवेदनकर्ता को सूचना भेज दें। इस प्रकार, इस प्रावधान का उपयोग वे अन्य अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए कर रहे होते हैं। अधिनियम के अनुसार, आवेदनकर्ता को सूचना प्रदान करने अथवा अधिनियम की धारा 8 और 9 में निर्धारित किन्ही कारणों से आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की जिम्मेदारी लोक प्राधिकरण द्वारा नामित जन सूचना अधिकारी की है। अधिनियम ने जन सूचना अधिकारी को आवेदन को सूचना प्रदान करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से यह अधिकार दिया है कि वह किसी अन्य अधिकारी से सहायता प्राप्त कर ले। किन्तु यह उसे किसी अन्य अधिकारी को जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने या उसे आवेदक को उत्तर भेजने के लिए निदेश देने का अधिकार नहीं देता। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि यदि वह अधिकारी जिससे सहायता माँगी गयी है जन सूचना अधिकारी को आवश्यक सहायता नहीं देता है तो राज्य सूचना आयोग उस अधिकारी पर शास्ति अधिरोपण अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा उसी तर्ज पर कर सकता है जैसा कि वह जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कर सकता है।

सूचना की आपूर्ति

10. उत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी को देखना चाहिये कि माँगी गई सूचना अथवा उसका कोई भाग अधिनियम की धारा 8 अथवा 9 के अन्तर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त तो नहीं है। आवेदन के छूट के अन्तर्गत आने वाले भाग के संबंध में किये गये अनुरोध को नामंजूर कर दिया जाय तथा शेष सूचना तत्काल अथवा अतिरिक्त शुल्क लेने के बाद, जैसा भी मामला हो, उपलब्ध करा दी जाय।

11. जब सूचना के लिए अनुरोध को नामंजूर किया जाय तो जन सूचना अधिकारी को अनुरोध करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारी देनी चाहिये :–

    (i) अस्वीकृति के कारण;

    (ii) अवधि जिसमें अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की जा सके; और

    (iii) उस प्राविधान का ब्यौरा जिससे अपील की जा सकती है।

12. यदि शुल्क तथा लागत नियमावली में किये गये प्रावधान के अनुसार आवेदक द्वारा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित हो, तो जन सूचना अधिकारी आवेदक को निम्न सूचना देगा :–

(i) भुगतान करने हेतु अपेक्षित अतिरिक्त शुल्क का विवरण;

(ii) माँगी गयी शुल्क की राशि निर्धारित करने हेतु की गई गणना

(iii) यह तथ्य कि आवेदक को इस प्रकार मांगे गए शुल्क के बारे में अपील करने का अधिकार है;

(iv) उस प्राधिकारी का विवरण जिससे अपील की जा सकती है; और

(v) समय—सीमा जिसके भीतर अपील की जा सकती है।

सूचना आपूर्ति के लिए समय अवधि

13. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित सुरक्षा संगठनों के जन सूचना अधिकारी के पास भ्रष्टाचार तथा मानव अधिकार उल्लंघन के आरोपों से सम्बन्धित सूचना के लिए आवेदन आ सकते हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से सम्बन्धित सूचना, जो राज्य सूचना आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही प्रदान की जाती है, अनुरोध प्राप्ति की तारीख के 45 दिनों के भीतर प्रदान कर दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के आरोपों से सम्बन्धित सूचना की आपूर्ति करने हेतु निर्धारित समय अवधि अन्य मामलों के समरूप ही है।

14. यदि जन सूचना अधिकारी, अनुरोध पर निर्धारित समय में निर्णय देने में असफल रहता है तो यह माना जाएगा कि जन सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह बताना प्रासंगिक होगा कि यदि कोई लोक प्राधिकरण सूचना देने की समय सीमा का पालन नहीं कर पाता है तो सम्बन्धित आवेदक को सूचना, बिना शुल्क उपलब्ध करवाई जानी होगी।

तीसरी पार्टी की सूचना का प्रकटन

15. वाणिज्यिक गुप्त बातों, व्यावसायिक रहस्यों अथवा बौद्धिक सम्पदा सहित ऐसी सूचना, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को क्षति पहुँचती हो, को प्रकटन से छूट प्राप्त है। ऐसी सूचना का तब तक प्रकटन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो कि ऐसी सूचना का प्रकटन बृहत लोकहित में वांछित है।

16. यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तीसरी पार्टी से सम्बन्ध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और तीसरी पार्टी ने ऐसी सूचना को गोपनीय माना है, तो जन सूचना अधिकारी से अपेक्षित है कि वह सूचना को प्रकट करने अथवा न करने पर विचार करेगा। ऐसे मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत यह होना चाहिए कि यदि प्रकटन से तीसरी पार्टी को सम्भावित हानि की अपेक्षा बृहत्त लोकहित सधता हो तो प्रकटन की स्वीकृति दे दी जाए बशर्ते कि सूचना कानून द्वारा संरक्षित व्यावसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्यों से सम्बन्धित न हो। तथापि, ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले नीचे दी गई प्रक्रिया को अपनाया जाए।

17. यदि जन सूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्ति की तारीख के 05 दिन के भीतर, तीसरी पार्टी को लिखित सूचना देनी चाहिए कि सूचना का अधिकार

अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा उससे सम्बन्धित सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना को प्रकट करना चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना को प्रकट करने या न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध प्रतिवेदन करने के लिए नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन का समय दिया जाना चाहिए।

18. जन सूचना अधिकारी को चाहिए वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के सम्बन्ध में निर्णय ले। ऐसा निर्णय सूचना के अनुरोध की प्राप्ति से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने के पश्चात्, जन सूचना अधिकारी को लिखित रूप में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय की सूचना देनी चाहिए। तृतीय पक्ष को सूचना देते समय यह भी बताया जाना चाहिए कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का हक है।

19. तृतीय पक्ष, जन सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

20. यदि तृतीय पक्ष द्वारा जन सूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर की जाती है, तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

सूचना का अपनी ओर से प्रकटन

21. अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकरण के लिए अपने संगठन, इसके क्रियाकलापों, कर्तव्यों और अन्य विषयों आदि के ब्यौरो का स्वतः प्रकटन करना बाध्यकारी है। धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार, इस प्रकार से प्रकाशित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जन सूचना अधिकारी के पास सुलभ होनी चाहिए। जन सूचना अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए कि लोक प्राधिकरण द्वारा धारा 4 की अपेक्षाएं पूरी की जाएं और लोक प्राधिकरण के सम्बन्ध में अधिकतम सूचना इंटरनेट पर अपलोड की जाए। इससे दो लाभ होंगे। प्रथम, अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और द्वितीय, यह सूचना प्रदान करने के कार्य को सरल बनाएगा, क्योंकि अधिकतम सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।

नेकनीयती में किए गए कार्य की संरक्षा

22. अधिनियम की धारा 21 में यह प्रावधान है कि अधिनियम अथवा उसके तहत् बनाए गए किसी नियम के अधीन नेकनीयती से किए गए कार्य अथवा ऐसा कार्य करने के इरादे की वजह से, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। तथापि, जन सूचना अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए कि यह साबित करना कि उसके द्वारा की गई अभिक्रिया नेकनीयती में की गई थी उसका उत्तरदायित्व होगा।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के लिए

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण जानकारी भेजना लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। यह संभव है कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम न करे अथवा कोई आवेदक उसके निर्णय से संतुष्ट न हो। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान हैं। पहली अपील लोक प्राधिकारी के भीतर ही होती है, जो सम्बन्धित लोक प्राधिकरण द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित अधिकारी को की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी रैंक में जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी होता है। दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006 अपील पर राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णय की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।

अपील का निपटान

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्ध–न्यायिक कार्य है। इसलिए अपीलीय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्याय केवल हो ही नहीं, बल्कि वह होते दिखाई भी दे। इसके लिए अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिसमें निर्णय के पक्ष में समुचित तर्क दिए गए हों।

3. यदि कोई अपीलीय अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपीलकर्ता को जन सूचना अधिकारी द्वारा भेजी गई जानकारी के अतिरिक्त और जानकारी दी जानी अपेक्षित है तो वह या तो (i) जन सूचना अधिकारी को ऐसी सूचना देने के लिए निदेश दे सकता है या (ii) अपीलकर्ता को वह स्वयं जानकारी भेज सकता है। पहली स्थिति में अपीलीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा आदेशित जानकारी अपीलकर्ता को शीघ्र भेजी जाए। हालांकि, यह बेहतर होगा कि अपीलीय अधिकारी कार्यवाही का दूसरा रास्ता अपनाए और वह अपने द्वारा पारित आदेश के साथ ही जानकारी भेज दे।

4. यदि जन सूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को कार्यान्वित नहीं करता है और अपीलीय अधिकारी यह महसूस करता है कि उसके आदेश को कार्यान्वित करवाने के लिए उच्चतर अधिकारी का हस्तक्षेप आवश्यक है तो उसे इस मामले को लोक प्राधिकरण के उस अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिए जो जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हो। ऐसे सक्षम अधिकारी को चाहिए कि वह यथोचित कार्रवाई करे ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा सके।

अपील के निपटान के लिए समय–सीमा

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील का निपटान अपील प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। अपवाद स्वरूप अपीलीय अधिकारी इसके निपटान के लिए 45 दिन का समय ले सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में जिनमें अपील के निपटान में 30 दिन से अधिक समय लगता है, अपीलीय अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे विलम्ब के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

संख्या–सू.अ.61/तैंतालिस–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 31/05/2010**

विषय :– सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में किसी आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न प्राविधान है–

''कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्र की राजभाषा जिसमें आवेदन किया जा रहा है फीस के साथ संबंधित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी या सहायक जनसूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना को विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करने हेतु अनुरोध करेगा।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में उत्तर प्रदेश राजभाषा हिन्दी/उर्दू के अलावा अंग्रेजी में आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है तो उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन अपने विभाग तथा अपने अधीन समस्त लोक प्राधिकरणों में सुनिश्चित कराने का कष्ट करे।

भवदीय

(अनीता सिंह)
सचिव

संख्या–भा.स.14 / 43–2–10–15 / 2(3) / 07 टीसी–II

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 10 / 06 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत पर व्यक्ति (Third Party) की सूचना का प्रकटन।

महोदय,

आप अवगत है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में यह प्राविधान है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके भाग को मॉगता है जो किसी पर व्यक्ति (Third Party) से संबंधित है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है और पर व्यक्ति (Third Party) ने ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तो जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिन के अन्दर उस पर व्यक्ति (Third Party) को लिखित रूप में नोटिस देगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट किया जाना चाहिये या नहीं तथा लिखित रूप में या मौखिक रूप में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए पर व्यक्ति (Third Party) को आमंत्रित करेगा। पर व्यक्ति (Third Party) को जन सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध विभागीय अपीलीय अधिकारी के पास अपील करने का अधिकार है और यदि वह विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो राज्य सूचना आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पास दूसरी अपील करने का अधिकार है।

2. भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–8 / 2 / 2010–आई.आर., दिनांक 27 अप्रैल, 2010 (प्रतिलिपि संलग्न) में यह निर्देश जारी किये गये है कि जब तक अधिनियम की धारा–11 में निर्धारित कार्यविधि पूरी नहीं कर ली जाती जन सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता है।

अतः मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या – 8/2/2010–आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001

दिनांक : 27 अप्रैल, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तीसरे पक्ष की सूचना का प्रकटन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार कई मामलों में अंतर्विभागीय परामर्श करती है। इस प्रक्रिया में, एक लोक प्राधिकरण दूसरे लोक प्राधिकरण को कुछ गोपनीय कागजात भेज सकता है। यह प्रश्न उठा है कि क्या प्राप्तकर्त्ता लोक प्राधिकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऐसे गोपनीय कागजातों का प्रकटना कर सकता है। यदि हां तो ऐसा करने के लिए क्या क्रियाविधि अपनाई जानी आवश्यक है।

2. अधिनियम की धारा 11 में 'तीसरे पक्ष' की सूचना के प्रकटन की क्रिया विधि दी गई है। इसके अनुसार, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी गई ऐसी सूचना का प्रकटन करना चाहता है जिसे तीसरे पक्ष ने गोपनीय माना है, तो लोक सूचना अधिकारी सूचना का प्रकटन करने से पहले तीसरे पक्ष को इस विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा। तीसरे पक्ष को लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने का और यदि वह विभागीय अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं हे तो संबंधित सूचना आयोग के पास दूसरी अपील करने का अधिकार है। जब तक धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि पूरी नहीं कर ली जाती लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता।

3. अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ध) के अनुसार, 'तीसरे पक्ष' की परिभाषा में लोक

प्राधिकरण भी शामिल हैं। 'तीसरे पक्ष' की परिभाषा और धारा 11 से यह स्पष्ट है कि यदि कोई लोक प्राधिकारी 'क्ष' किसी दूसरे प्राधिकरण 'त्र' से कोई ऐसी सूचना प्राप्त करता है जिसे कि उस लोक प्राधिकरण ने गोपनीय माना है, तो 'क्ष' तीसरा पक्ष 'त्र' के परामर्श के बिना और अधिनियम की धारा 11 में निर्धारित क्रियाविधि का अनुसरण किए बिना संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं कर सकता। यह एक सांविधिक अपेक्षा है जिसका अनुपालन नहीं करने पर लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाई की जा सकती है।

4. लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना का प्रकटन करने के बारे में निर्णय लेते समय इस अधिनियम के प्रावधानों का सामान्य रूप से और यदि तीसरा पक्ष लोक प्राधिकरण है तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक
दूरभाष : 23092158

प्रतिलिपि :–

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग / लोक सभा सचिवालय / राज्य सभा सचिवालय / मंत्रिमण्डल सचिवालय / केन्द्रीय सतर्कता आयोग / राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय / प्रधानमंत्री कार्यालय / योजना आयोग / चुनाव आयोग।
3. केन्द्रीय सूचना आयोग / राज्य सूचना आयोग।
4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 10, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली।
6. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी / डेस्क / अनुभाग।

प्रतिलिपि : सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

संख्या—828 / 43—2—2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 **लखनऊ : दिनांक 28 / 06 / 2010**

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 के शासनादेश सं. : 273 / 43—2—2010, दिनांक 9 मार्च, 2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त पत्र में यह निर्देश दिये गये थे कि लोक प्राधिकरण किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के खण्ड (ज्ञ) द्वारा संरक्षित है और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एक गोपनीय दस्तावेज है जिसके प्रकटन को कार्यालय गोपनीय अधिनियम, 1923 द्वारा संरक्षित किया गया है। किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लिया जाना चाहिये।

3. गोपनीय चरित्र प्रविष्टि के प्रकटन के संबंध में मा. उच्चतम न्यायालय ने देवदत्त बनाम भारत सरकार सिविल अपील सं.— 7631 / 2002, में संबंधित अधिकारी को उसकी वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की प्रति प्रदान किये जाने को बाध्यकारी माना है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक प्राधिकरण किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उसी कर्मचारी के समक्ष प्रकट करने के लिए बाध्य है। जहाँ तक किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकट किये जाने का प्रश्न है उस स्थिति में यदि किसी कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन में जनहित संरक्षित हित से अधिक महत्वपूर्ण है तो वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के प्रकटन का निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही लिया जाना चाहिये।

प्रशासनिक सुधार विभाग का शासनादेश दिनाँक 9 मार्च, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीया,
(अनीता सिंह)
सचिव।

संख्या–1065 / 43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 25 / 08 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार अभिलेखों को अद्यतन किया जाना और उनका समुचित रखरखाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुख्य सचिव की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या–503 / 43–2–2008, दिनांक 21 मई, 2008 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (क) के प्राविधानों के अनुसार सभी लोक प्राधिकारियों को अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिकाबद्व करने तथा ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किये जाने के लिए समुचित हैं, को युक्ति युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर नेटवर्क के माध्यम से ऐसे अभिलेखों तक पहुँच को सुगम बनाने तथा सतत प्रक्रिया के अन्तर्गत अभिलेखों का रख रखाव एवं अद्यतन किये जाने, आधार भूत संरचना में सुधार कर आवश्यक मैनुअल तैयार करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

3. राज्य सूचना आयोग द्वारा करन सिंह जहारिया की ओर से प्रस्तुत वाद शिकायत संख्या–एस–7–1600 / सी / 2009 में यह आदेश पारित किये गये है कि ऐसे अभिलेखों / दस्तावेजों / पत्रावलियों के रखरखाव और उनको वैज्ञानिक व व्यवस्थित ढंग से संकलित करने के बारे

में तत्काल आवश्यक कदम उठाया जाय। स्वतंत्रता संग्राम से जुडे हुए सभी प्रसंगों एवं घटनाओं के अभिलेख जहां कहीं भी उपलब्ध हों उनकी समुचित ढंग से संरक्षा की जाय।

4. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा. राज्य सूचना आयोग के उपर्युक्त आदेशो तथा अधिनियम की धारा 4(1)(क) के प्राविधानों के अनुसार अभिलेखों के रखरखाव एवं अ़द्यतन किये जाने के संबंध में अपने अधीन समस्त लोक प्राधिकारियों से अपने संसाधनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या– 1065(1)/43–2–2010, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ.प्र. को मा. आयोग के संज्ञान में लाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–भा.स.(पीजी)63 / 43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 30 / 08 / 2010**

विषय :– विभागीय जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों तथा राज्य सूचना आयुक्तों के नाम विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) में किये गये प्राविधान के अनुसार सभी लोक प्राधिकरण अपने संगठन की विशिष्टियां, कार्य एवं कर्तव्य, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका के साथ–साथ लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य विवरण युक्ति युक्त समय के अन्दर एवं अपने श्रोतों के उपलब्धता के अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं अन्य प्रणालियों पर समस्त देश में नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किये जाने योग्य बनाएगा। अधिनियम की धारा 4(1) (बी) के प्राविधानों के अनुसार 16 बिन्दुओं पर सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने तथा अद्यतन किये जाने के निर्देश शासन द्वारा पूर्व में दिये गये है।

2. आपसे अनुरोध है कि सभी लोक प्राधिकरण अपने जनसूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारी के नाम, पदनाम तथा उनके पतो के विवरण अपनी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं अद्यतन रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या–1548/43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 29/09/2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2 (एच) के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की सूची का प्रकाशन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से निर्गत परिपत्र संख्या–186/43–2–2010 दिनांक 05 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त परिपत्र के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2(एच) में विहित व्यवस्था का उल्लेख करते हुए यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–2(एच) में दी गयी लोक प्राधिकारी की परिभाषा के परिपेक्ष्य में नागरिकों द्वारा सूचना मांगने पर विभिन्न संगठन यह तर्क प्रस्तुत करते है कि वे राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से वित्त पोषित नहीं है। अतः वे उक्त परिभाषा के अन्तर्गत अधिनियम की परिधि में नहीं आते हैं। इस भ्रान्ति के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के समस्त विभाग अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूची का सार्वजनिक प्रकाशन करें, जिससे इसकी जानकारी आम नागरिकों को हो सके।

3. उक्त परिपत्र के परिपेक्ष्य में अभी तक किसी भी विभाग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों की सूची के प्रकाशन की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकरणों की सूची का शीघ्र सार्वजनिक प्रकाशन करते हुए इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग तथा उ.प्र., राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनुसचिव

संख्या–1624 / 43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
   उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 18 / 10 / 2010**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में किये गये कार्यों का विवरण वेबसाइट पर डालने के संबंध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(ए) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से ऐसी रीति से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध करेगा और उन्हें इस रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने हेतु अधिक से अधिक सुविधाजनक हो। इस प्रकार अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अभिलेखों का समुचित प्रबन्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी से यह भी अपेक्षित है कि वे लोगों को सम्प्रेषण के विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक सूचना उपलब्ध करायें ताकि लोगों को सूचना प्राप्त करने के लिये अधिनियम का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इंटरनेट सम्प्रेषण के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन लोक प्राधिकरणों में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4 में उल्लिखित समस्त जानकारियों / विवरण के साथ–साथ सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों एवं महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण भी अपनी वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।

संख्या–1625/43–2–2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 18/10/2010**

विषय :– समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालयों और उसकी समस्त इकाईयों में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण नोटिस बोर्ड पर अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या–547/43–2–2009, दिनांक 25–5–2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त परिपत्र के माध्यम से यह अनुदेश निर्गत किया गया था कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाइयों में एक नोटिस बोर्ड पर जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम उनका पदनाम, बैठने का स्थान मिलने का समय और दूरभाष नम्बर आदि अंकित किया जाय, साथ ही राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय का पता भी अंकित किया जाय और उसे कार्यालय के ऐसे स्थान पर लगाया जाय, जहॉ तक पहुॅच के लिये किसी प्रवेश पत्र की आवश्यकता न हो, जिससे नागरिकों को उन तक पहुॅच में सुविधा हो सके।

3. राज्य सूचना आयोग द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि आयोग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि उक्त निर्देशों के बावजूद विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में अभी भी नोटिस बोर्ड नहीं लगाये है, जिनमें जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के बारे में विवरण उपलब्ध हो। आयोग द्वारा ऐसे मामलों को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग तथा अपने नियंत्रणाधीन समस्त लोक प्राधिकारी कार्यालय और उनकी समस्त इकाईयों में एक नोटिस बोर्ड पर उपर्युक्त विवरण अंकित कराने तथा उसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग एवं राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक तदैव**</u>

प्रतिलिपि सचिव, राज्य सूचना आयोग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(रामचन्द्र यादव)
अनु सचिव।

संख्या—सु.अ. भा.स.191 / 43—2—2010

प्रेषक,

नवतेज सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग—2 **लखनऊ : दिनांक 08 / 11 / 2010**

विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त ऐसे आवेदनों का निपटान जिनमें किसी अन्य लोक प्राधिकरण / प्राधिकरणों से संबद्ध सूचना मांगी गई हो।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई बार लोक प्राधिकरणों के पास ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होते हैं, जो उनसे संबंधित नहीं होती। कभी कभी ऐसी सूचना मांगी जाती है, जिसका कुछ ही हिस्सा उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होता है या कोई भी हिस्सा उसके पास उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में सूचना का कुछ हिस्सा या पूरी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण या अन्य कई लोक प्राधिकरणों से संबंधित होती है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) में यह व्यवस्था की गयी है कि सूचना प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को आवेदन देगा। धारा 6(3) में यह व्यवस्था है कि यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिये आवेदन प्राप्त होता है, जो दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है तो वह लोक प्राधिकरण जिसे आवेदन दिया गया है, आवेदन को संबंधित लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देगा। धारा 6 की उप धारा (1) और उप धारा (3) के प्राविधानों के ध्यानपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि सूचना मांगने वाला व्यक्ति अपना आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी को संबोधित करे। फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं, जिनमें सामान्य समझ वाला व्यक्ति यह माने कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना उस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी, जिसको कि उसने आवेदन किया है, जब कि वास्तव में यह सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास होती है।

3. ऐसे मामलों में उत्पन्न होने वाली कुछ स्थितियों और उन स्थितियों में लोक प्राधिकरणों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सूचना के लिए किसी लोक प्राधिकरण को आवेदन देता है, जो किसी दूसरे लोक प्राधिकरण से संबंधित है। ऐसे मामले में, जन सूचना अधिकारी को आवेदन संबंधित

लोक प्राधिकरण को अंतरित कर देना चाहिये और इसकी सूचना आवेदक को भी दे देनी चाहिये। यदि लोक प्राधिकरण का जनसूचना अधिकारी समुचित प्रयास करने के बाद भी संबंधित लोक प्राधिकरण का पता नहीं लगा पाए तो उसे आवेदक को सूचित कर देना चाहिये कि माँगी गई सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है तथा उसे यह भी पता नहीं है कि सूचना किस लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध होगी। यदि जन सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय के खिलाफ कोई अपील की जाती है तो उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसने संबंधित लोक प्राधिकरण के विवरण का पता लगाने के लिये पर्याप्त कदम उठाये थे।

(ii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उस लोक प्राधिकरण के पास है तथा शेष सूचना किसी दूसरे लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जन सूचना अधिकारी को उपलब्ध सूचना दे देनी चाहिये तथा आवेदन की एक प्रति आवेदक को सूचित करते हुए संबंधित दूसरे लोक प्राधिकरण के पास भेज देनी चाहिये।

(iii) कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांगता है, जिसका कुछ भाग उसके पास उपलब्ध है, तथा शेष सूचना अन्य कई लोक प्राधिकरणों के पास है। ऐसी स्थिति में, जन सूचना अधिकारी को अपने से संबंधित सूचना दे देनी चाहिये तथा साथ ही आवेदक को सलाह देनी चाहिये कि शेष सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन करे। यदि मांगी गई सूचना का कोई भी हिस्सा लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि सूचना का अलग–अलग हिस्सा एक से अधिक दूसरे प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो जन सूचना अधिकारी को आवेदक को यह सूचित कर देना चाहिये कि उस लोक प्राधिकरण के पास सूचना उपलब्ध नहीं है साथ ही उसे आवेदक को यह सलाह देनी चाहिये कि सूचना प्राप्त करने के लिए वह संबंधित लोक प्राधिकरणों को अलग–अलग आवेदन दे। यदि लोक सूचना अधिकारी को यह मालूम है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना किन लोक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो ऐसे लोक प्राधिकरणों के ब्यौरे भी आवेदक को बता दे। ऐसे मामलों में सूचना का संबंध किसी लोक प्राधिकरण विशेष से नहीं होता, इसलिए अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आवेदन को अंतरित किये जाने का मामला नहीं बनता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपधारा (3) में दूसरे लोक प्राधिकरण का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में।

4. कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवतेज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–सु.अ.226 / 43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 01 / 12 / 2010**

विषय :– तहसील स्तर से भिन्न स्तर के कार्यालयों में नामित सहायक जन सूचना अधिकारियों को सहायक जन सूचना अधिकारी के बजाय अन्य कोई नाम दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) में यह प्राविधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमण्डल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपीलों के लिए आवेदन प्राप्त करने और तुरन्त उसे सम्बन्धित जन सूचना अधिकारी या धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) या राज्य सूचना आयोग यथास्थिति को प्रेषित करने हेतु नामित करेगा।

ऐसा देखने में आया है कि तहसील स्तर (उप जिला स्तर) से भिन्न स्तर के कार्यालयों में विभागों द्वारा जन सूचना अधिकारी के साथ–साथ सहायक जन सूचना अधिकारी भी नामित कर दिये गये है, जबकि अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार तहसील स्तर पर ही सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने का प्राविधान है।

अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि आपके विभाग में तहसील स्तर से भिन्न स्तर के कार्यालयों में सहायक जन सूचना अधिकारी नामित किये गये हैं तो उन्हें सहायक जन सूचना अधिकारी के बजाय अन्य कोई नाम अपने विवेक से दे दिया जाय ताकि अधिनियम की धारा 5(2) में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

भवदीया,

(अनीता सिंह)
सचिव।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, उत्तर प्रदेश, राज्य सूचना आयोग को आदेश संख्या–रा.सू.अ.–226 / 43–2–2010, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के सम्बन्ध में।

संख्या–भा.स. 65/43–2–2010

प्रेषक,

अनीता सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 11/01/2012**

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने के संबंध में सिविल अपील सं.6454/2011 के अन्तर्गत मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी व्याख्या के आलोक में भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं. 1/18/2011 आई.आर, दिनांक 16–9–2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों हेतु मार्गदर्शिका संख्या–भा.स. 16/43–2–2008, दिनांक 14 जुलाई, 2008 जारी की गयी थी जिसके पैरा–8 में यह उल्लिखित है कि अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/18/2011 आई.आर दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया गया है :–

''सूचना का अधिकार अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है। सूचना का अधिकार अधिनियम में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुँच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा–2 के खण्ड (च) और (ज्ञ) के अन्तर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा–3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत प्रदत्त विमुक्ति के अधीन पहुँच बना सकता है, किन्तु जहाँ सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण से किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अंतर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात किसी आवेदक को इसे उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक प्राधिकरण से निष्कर्षों को निकालने और/अथवा अनुमान किये जाने की या, 'मत'

दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को किसी 'मत' अथवा 'सलाह' को प्राप्त करने और दिए जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा–2 (च) में 'सूचना' की परिभाषा में 'मत' अथवा 'सलाह' का संदर्भ, मात्र लोक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण, एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में, नागरिकों को सलाह, मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।'

कृपया उक्त विवरण को अपने अधीनस्थ समस्त, लोक प्राधिकरणों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

भवदीया

(अनीता सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उ.प्र.।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राम चन्द्र यादव)
अनु सचिव।